

## कुर्की की कार्रवाई होते देख बकायादारो ने जमा की राशि, नेहरू नगर के दो स्थानों पर कुर्की करने पहुंची निगम की टीम

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर में 2 बकायादारो की संपत्ति कुर्क करने निगम की टीम, पुलिस बल के साथ मुख्य कार्यालय से प्रातः 11:00 बजे रवाना हुई! बकायादारो ने कुर्की की कार्रवाई होते देखकर बकाया राशि जमा करने की बात कही, तब कुर्की टीम को प्रभारी राजस्व अधिकारी तरुण पाल ने राशि जमा करवाने के निर्देश दिए!

गौरतलब है कि निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किए गए हैं इन्हें पहले 173 एवं 174 के तहत नोटिस भी दिया जा चुका है तथा कई बार राशि वसूली के लिए संपर्क भी किया गया फिर भी बकाया कर जमा नहीं किया गया जिस पर निगम ने कुर्की करने का सख्त निर्णय लिया ! कुर्की/वसूली के लिए निगम के कुर्की अधिकारी एवं कुर्की दल नेहरू नगर व्यवसायिक कांप्लेक्स स्टेट बैंक के समीप प्लॉट नंबर 3 सविता सोनी पति श्री बलराम प्रसाद सोनी के यहां पहुंचे और दुकान के मुख्य द्वार पर ताला लगाना प्रारंभ कर दिया तब आनन-फानन में बकायादार ने पहुंचकर राशि जमा करने की बात कही जिस पर बकाया राशि में से 60000 का चेक बकायादार ने जमा किया! तब कुर्की दल के अधिकारी साकेत नगर कुरुद रोड कोहका मैसर्स मित्रा इंटीरियर पहुंचे जहां पर कार्यवाही प्रारंभ की गई तब बकायादार ने बकाया राशि जमा करने की बात कही जिस पर बकाया राशि में से बकायादार से 6 लाख का चेक प्राप्त किया गया! आज कुर्की दल नेहरू नगर क्षेत्र के दो स्थलों पर कुर्की की कार्यवाही के लिए पहुंची थी दोनों बकायेदारों ने कुर्की दल की कार्यवाही को देखते हुए राशि जमा कर दी और शेष राशि जमा करने के लिए मोहलत मांगी! निगम प्रशासन ने बकायेदारों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना प्रारंभ कर दिया है जिसके लिए आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा कुर्की दल एवं कुर्की अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही जोनवार तिथि भी निर्धारित कर दी है! इसी के तहत जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र में बकायादारो को कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर 7 मार्च को कुर्की की कार्यवाही की जाएगी! बता दें कि सविता सोनी पति श्री बलराम प्रसाद सोनी प्लॉट नंबर 3 नेहरू नगर तथा मैसर्स मित्रा इंटीरियर साकेत नगर कुरुद रोड कोहका को बकाया राशि जमा करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया गया था अब सख्ती से कार्रवाई करने निगम की कुर्की दल इनके यहां पहुंची थी, दोनों बकायेदार राशि जमा करने पर कुर्की की कार्यवाही से बच गए ! कुर्की दल के साथ निगम की तोड़फोड़ दस्ता की टीम, पुलिस प्रशासन, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, राजस्व एवं संपत्ति कर के अधिकारी, स्पैरो सॉफ्टवेक प्रा लि सहित अन्य मौजूद रहे!

